FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) ... मुकाम ...

दुर्गाराम बनाम प्रहलाद राम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन अस्थाई नं. 336A/21 सन 2021

धारा 111, 125 RLR Act

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 125 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/11/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) ...	
30/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-04/01/2022 को पेश हो। [signature] //	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील गैरउपस्थित। समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सटा सेट आये हुए हैं प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुराने मार्क व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सीमों को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमायशी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमायशी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमायशी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमायशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पैमायशी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

अधिकार ... हुक्म की ता... पे जारी हुए

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1560 दिनांकः— 04/1/22

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दुर्गाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट, निवासी पदमोणी गोदारों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. प्रहलादराम पुत्र जेठाराम वगैरा 9 जाति जाट, नि. पदमोणी गोदारों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या — 336A / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा — पदमोणी गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल — बायतु चिमनजी, तहसील — बायतु, जिला— बाड़मेर के खेत खसरा नं. 835 / 789 रकबा 9.3844 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / — जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1569-73 दिनांकः— 4/1/22

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र पुरखाराम
4 विप्रार्थी श्री प्रहलादराम पुत्र जेठाराम वगैरा 9
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु